## विचार बिन्दु

दूसरों पर शक करना कभी-कभी गुनाह हो जाता है। –कुरान

# क्या सिद्धारमैया सरकार का ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का कोई औचित्य है?

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिनांक 14.03.2025 को केबीनेट की मीटिंग में कर्नाटक ट्रान्सपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेन्ट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर किया गया। इसे विधानसभा में पेश किया जावेगा। इससे पूर्व सरकार ने बजट सत्र के समय घोषणा की थी कि सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जावेगा और यह आरक्षण श्रेणी II बी के अन्तर्गत आयेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर लागू होगी। एसटी, एससी और ओबीसी को इसमें पहले से आरक्षण है। जो श्रेणी I, श्रेणी II ए में है। अब इसमें श्रेणी II बी को जोडा जायेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय है। आरक्षित वर्ग के ऐसे ठेकेदार 2 करोड़ तक के ठेके के अधिकारी (पात्र) होंगे। इस प्रकार कर्नाटक में सरकारी टेन्डर व ठेकों में मुस्लिमों को 4% कोटा देने की तैयारी करली है। यह कहा गया है कि 4% आरक्षण ओबीसी केटेगरी में होगा, किन्तु ये 4% मुस्लिम ओबीसी केटेगरी के मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते।

भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय राज्य के विरूद्ध खुला युद्ध छेडने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुये कहा कि कांग्रेस नेता ने कथित संवैधानिक सिद्धान्तों पर साम्प्रदायिक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 मार्च 2025 को सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का असंवैधानिक कदम कहा है और इसे न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। दिनांक 24.03.2024 को संसद में भी भाजपा ने आरक्षण का विरोध करते हुये, उसे असंवैधानिक बतलाया।

आरक्षण के प्रावधान संवैधानिक के भाग 16 में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ वर्गों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 330, 331, 332, में आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख हमें भाग 16 में मिलेगा। अनुच्छेद 334 में लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के लिये एसटी व एससी के आरक्षण के प्रावधान है। पिछडों के आरक्षण का प्रावधान भी आप इसी भाग में पढ़ सकते हैं। संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 342ए जोड़ा गया है। यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्ग के लिये है।

केरल, बिहार, तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व उत्तरप्रदेश में मुस्लिमों के लिये आरक्षण का विशेष प्रावधान है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण है। जबकि अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय भी हैं। आर्थिक आधार पर तथा प्रोमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। अब तो यह कहा जा रहा है कि रेल के टिकिटों पर भी आरक्षण की मांग होगी।

संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में मिलता है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। साधारण रूप से हम कह सकते हैं बहुसंख्यक के विपरीत जो संख्या में कम हैं वे अल्पसंख्यक हैं। देश के कुछ लोगों के समूह की यदि कोई विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है तो उसके अनुसार उन्हें आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार भी है। सरकार उनके कार्यों में कोई दखल भी नहीं देगी। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना अद्भुत है। अनुच्छेद 14 में Right to Equality यानी समता का अधिकार दिया और अनुच्छेद 15 में घोषणा की कि धर्म, मूलवंश जाति, लिंग का जन स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही यह भी निर्देश दे दिया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुये नारगिकों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये व्यवस्था करने से अन्य कोई बात होने पर उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगा।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 लाया गया था। इस अधिनियम की धारा 2(सी) में अल्पसंख्यक की परिभाषा है, उसके अनुसार अल्पसंख्यक वह है जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर करेगी। अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत् किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया गया; किन्तु काफी समय बाद जैनों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राजस्थान व अन्य राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।

**वस्तुतः 4% मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी के केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) में है, वह तो प्रत्यक्षतः ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वयं ही अर्थ शून्य हो जायेगा।**

केन्द्र सरकार ने प्रथम नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी का गठन आदेश दिनांक 12.1.1978 को किया था। इस कमीशन को मान्यता देने हेतु ही अधिनियम 1992 लाया गया था।

जैसा ऊपर यह स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में किसी कॉम्यूनिटी को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकासर को था। अब राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। अधिनियम 1992 की धारा 2(सी) में अल्पसंख्यक की परिभाषा में यह कहा गया है कि जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर करे वह अल्पसंख्यक है। केन्द्र सरकार ने निरंकुश होकर, बिना किसी वर्गीकरण के उक्त परिभाषा दी है। कानून की दृष्टि से यह अनुच्छेद 14 के अनुसार अवैध है, चूंकि अमर्यादित है निरंकुश है। फिर 4% आरक्षण ओबीसी केटेगरी में देने का तो कोई औचित्य ही नहीं है।

साधारण भाषा में अल्पसंख्यक का अभिप्राय है मेजोरिटी के विपरीत, बडे ग्रुप से छोटा ग्रुप। माइनोरिटी के तीन रूप हैं, राजनीतिक, धार्मिक व भाषाई माइनोरिटी। इनमें से धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक के बाबत उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 में मिलता है, किन्तु राजनीतिक अल्पसंख्यक को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस का निर्णय बडी पीठ का निर्णय है। इस केस में यह स्पष्ट निर्णय है, चूंकि कि देश का पुनर्गठन भाषा के आधार पर है अतः राज्यों में अल्पसंख्यकों का निर्णय भी उसी प्रकार होना चाहिये। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस में यह स्पष्ट किया है कि चूंकि पूर्व से राज्यों में ईसाई मेजोरिटी में है अतः हिन्दू वहां अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में है अतः हिन्दू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से अभिप्राय है धार्मिक अल्पसंख्यक है। जैनों को अल्पसंख्यक इसलिये माना कि जैन धर्म वैदिक धर्म से पूर्व का है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है, अतः यह कहना गलत है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म का भाग है। उक्त निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अल्पसंख्यकों की घोषणा का अधिकार नहीं है, यह विषय राज्य सरकार का है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 न तो केन्द्र की लिस्ट-1 में और न राज्य लिस्ट के विषयों के तहत् ही आते हैं। टीएमए पाई के केस 2002 (2) एससीसी 481 में जो विवेचन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बाबत संसद को शिक्षा के बाबत कानून बनाने का अधिकार है। जबकि अधिनियम 1992 उन अल्पसंख्यकों के हेतु है जिन्हें केन्द्रीय सरकार अल्पसंख्यक घोषित करेगी और अनुच्छेद 29/30 धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का मूल अधिकार देता है और टीएमए पाई का निर्णय निर्देश देता है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों के मामले में केन्द्र कोई दखल नहीं देगी। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 अवैध है और साथ ही अल्पसंख्यक की परिभाषा अविवेकपूर्ण है, निरंकुश है और अधिकार शून्य होने से अवैध है। इस अधिनियम 1992 की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुलसलमानों को जो 4% कोटा (आरक्षण) दिया है वह अवैध है। इन्द्रा साहनी के केस में जो आरक्षण के सम्बन्ध में एक अकाटय नजीर है, उसके अनुसार भी यह आरक्षण असंवैधानिक है। उक्त नजीर में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उसके अनुसार आरक्षण पिछडेपन (सामाजिक उत्पीडन) के आधार पर है। यह माना गया है कि हिन्दू व गैर हिन्दू की गणना के अनुसार हिन्दू 50% से अधिक हैं और दूसरा सिद्धान्त उक्त केस में यह निर्धारित किया है कि गैर हिन्दू आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। वस्तुतः 4% मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी के केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) में है, वह तो प्रत्यक्षतः ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वंय ही अर्थ शून्य हो जायेगा। यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिये कि इन्द्रा साहनी का केस समाज के पिछडों, एससी व एसटी के लोगों को समानता के स्तर पर लाने के हेतु था। किन्तु यह स्थिति उन लोगों की नहीं है, जिन्हें धारा 2(सी) की केटेगरी में अल्पसंख्यक के रूप में लिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मत प्राप्त करने हेतु कुछ धर्म के लोगों को लुभाने हेतु यह कानून लाया गया है। फ्रीबीज का यह भी एक रूप है।

कर्नाटक सरकार का निर्णय कि वह सार्वजनिक कार्यों के ठेके में 4% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे जबकि एसटी, एससी और ओबीसी को पहले ही से आरक्षण है। विभिन्न प्रकार के आरक्षण से जहां विकास होना चाहिये था वहां 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी को भी क्रिमीलेयर में स्थान नहीं दिया जा रहा है और अनुच्छेद 334 के तहत् आज भी आरक्षण को समय सीमा को अप्रभावी नहीं माना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार सही नहीं है यह कृत्य धार्मिक भेदभाव व तुष्टिकरण का ही एक रूप है। अतः यह प्रावधान असंवैधानिक है।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

# राजस्थान स्थापना दिवस के सात दिवसीय कार्यक्रम सरकार के जनसरोकारों से जुड़ाव की पहल



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को सहेजे राजस्थान का स्थापना दिवस पहली बार अंग्रेजी तारीख के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जा रहा है। यह अवश्य संजोग ही माना जाएगा कि इस साल देशी और अंग्रेजी कलेण्डरों के हिसाब से 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि पधारों म्हारे देस आंमत्रण के साथ राजस्थान दिवस का आयोजन महज औपचारिकता या आयोजन प्रयोजन तक सीमित ना रहकर एक विस्तृत सोच और चिंतन का परिणाम है और यही कारण है कि राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों की रुपरेखा इस तरह से तैयार की गई है जिससे केवल एक दिन की औपचारिकता ना रहकर सात दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो और आम जन से जुड़ें कार्य, योजनाएं और सीधे संबंधित लोगों से संवाद कायम हो सके।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि राजस्थान दिवस एक दिन का औपचारिक आयोजन ना होकर सात दिन तक के आयोजन एक विस्तृत जनहित से जुड़ें कार्यक्रमों के साथ हो रहे हैं। 25 मार्च को बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के आयोजन के साथ आरंभ हुए इन कार्यक्रमों की कड़ी में पहले दिन ही एक क्लिक के साथ ही लाभार्थी महिलाओं क खातों में 375 करोड़ रु. की राशि का हस्तांतरण हो गया। महिलाओं से जुड़े 7 विभागों की 11 योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह से एक क्लिक में होने और बाड़मेर में कार्यक्रम के आयोजन से एक संदेश गया है। 26 मार्च को बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित कर 30 हजार किसानों तक 137 करोड रु. के अनुदान स्वीकृति के साथ ही किसानों और पशुपालकों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और सीधा संवाद कायम करने की बड़ी पहल की गई है। राजस्थान स्थापना के अवसर पर आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रमों की कडी में 27 मार्च को भरतपुर में अन्त्योदय कल्याण योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम और 28 मार्च को भीलवाड़ा में विकास और सुशासन दिवस के रुप में आयोजन किया जाना है। इसी तरह से 29 मार्च को कोटा में व 30 मार्च व 31 मार्च को जयपुर में आयोजन होंगे। इस दौरान अनेक योजनाओं का लाभ लक्ष्यित वर्ग तक पहुंचाने के साथ ही नई नीतियां भी लाने का कार्यक्रम इस आयोजन को और अधिक उपादेय बनाएगा। यह साफ हो जाता है। इसी कड़ी में 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान के करीब 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग लॉजिस्टिक डेटा सेंटर और टैक्सटाइल पालिसी की घोषणा महत्वपूर्ण कार्य होंगे। दरअसल दिवस के आयोजन आयोजन प्रयोजनों के साथ महज औपचारिकता बन के रह जाना आम है। पर जिस तरह से इस बार कार्यक्रमों को इस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है जिससे सीधे प्रदेशवासियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा और सबसे खास यह कि राजस्थान स्थापना दिवस केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहकर प्रदेश के हर कोने में होने से इसका एक अलग ही संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक सोच इन आयोजनों के पीछे साफ दृष्टिगोचर होती है कि आयोजन सौद्देश्यपूर्ण और जनहित के हो। यही कारण है कि सात दिन तक आयोजन, दिन विशेष को वर्ग विशेष यथा महिला, किसान, युवा, निवेशक आदि आदि से जोड़कर आयोजनों से दिन विशेष को लक्ष्यित लाभार्थियों को लाभ का हस्तांतरण भी आसानी से संभव हो पाता है। कार्यक्रम के बहाने दिनों में होने वाले कार्य दिन विशेष को ही हो जाता है और यही प्रशासन की सफलता होती है।

दरअसल राजस्थान दिवस कार्यक्रम सात दिवस तक आयोजनों के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की संवेदनशील, लोकहितकारी और दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे निश्चित रुप से समूचे प्रदेश को लाभ होगा और नहीं भूलना चाहिये प्रक्रिया में चल रहे कार्य चंद समय में पूरे हो जाएंगे और आमजन में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार आमजन के हितों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। एक दूसरी बात जब आयोजन आमजन के बीच होते हैं तो भले ही फीड बेक के रुप में ही हो पर सरकार को कई नई जानकारियां और जनहित से जुड़े बिन्दुओं की जानकारी मिलती है जो समय आने पर सरकार की योजनाओं के निर्माण और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हो जाती है। राजस्थान सरकार का राजस्थान दिवस के सात दिन के कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे संवाद का परिणाम सकारात्मक ही जाएगा।

–डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

# सभी सरकारों द्वारा किसानों के साथ इतना संगदिल व्यवहार क्यों?



महावीर सिंह

पाठकों की स्मृति में होगा कि 09 अगस्त 2020 में एक बड़ा किसान आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। तात्कालिक कारण था तीन ऐसे अध्यादेश लाना जिन्हें कालांतर में कृषि के तीन काले कानून के रूप में जाना गया। उसी आंदोलन की निरंतरता में अपनी मांगों को लेकर पंजाब-हरयाणा के किसान खनोरी व शम्भू बॉर्डर पर लगातार धरने पर बैठे थे। मुख्य मांग है कि के लिए कानून बनाए की उस से नीचे किसान का माल नहीं बिकेगा। अन्य मांगे भी थी किन्तु वाली मांग मुख्य थी। इन आंदोलनकारियों को भी अभी हाल ही में बड़ी बेरहमी से वहां से हटाया है। सही है किसान सरकार की ताकत के सामने धरना प्रदर्शन जारी नहीं रख सकते थे। पर प्रश्न तो यह है कि यदि यही करना था तो बैठने ही क्यों दिया? क्या यातायात सुचारू रहे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी?

चलिए 2020-21 में लौटते है। अभी तक कोई स्पष्ठ रूप से नहीं बता पाया कि आखिर बिना हित धारकों से व्यापक चर्चा किये, बिना लोकसभा में विस्तार से चर्चा कराए, आनन-फानन में यह कानून किन सलाहकारों की सलाह पर लाए गए। आखिर में, 700 किसानों की शहादत के बाद, 19 नवम्बर 2021को, इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा स्वयं प्रधान मंत्री जी को करनी पड़ी। कितना अच्छा होता यदि बिना इतने किसानों की शहादत के ही प्रधान मंत्रीजी, अन्फॉलन की शुरुआत में ही ऐसा कर लेते। यधपि जानकारों का मानना है कि कानून के अध्यादेश लाने के कारणों का तो पता नही किन्तु कानून वापस लेने का तात्कालिक कारण उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाव थे। ऐसा सामान्यतः सभी मानते हैं। भाजपा उत्तरप्रदेश चुनाव पहले की तुलना में कम सीटों के साथ चुनाव जीत गई। चुनाव परिणाम आते ही, अति उत्साही भाजपा समर्थकों नें कह दिया कि यह सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए तीन कृषि कानूनों के प्रति समर्थन है अर्थात कानून किसानों के हित में थे। नोटबन्दी को भी चुनाव में सफलता के साथ ही जोड़ कर उसे उचित बताया था। नोटबन्दी के घोषित लक्ष्य, शायद ही प्राप्त हुए। कृषि कानूनों को तो स्वय सरकार नें ही वापस लिए। नोटबन्दी व कृषि कानूनों के बाद के चुनाव केवल इन्ही मुद्दों पर, हितधारकों यथा गरीब, गुरब्बे, छोटे व्यापारियों-उत्पादनकर्ताओं अथवा किसान मतदाताओं के बीच का ही जनमत संग्रह नहीं था। चुनाव में अनेक अन्य मद्दे व अन्य सभी वर्गों के मतदाता भी होते हैं। यथा मंहगाई, बेरोजगारी, शांतिव्यवस्था, जात-बिरादरी, कंडीडेट की व्यक्तिगत छवि व अन्य कई मुद्दे।

इसलिए चुनाव सफलता को केवल व केवल नोटबन्दी या किसानों हितों के साथ जोड़ना न्याय संगत नहीं। कोई सामान्य नागरिक आज तक यह तो स्वीकार करता नहीं कि यह दोनों कदम देश व जन हित में अत्यंत सुविचारित कदम थे। इसके विपरीत करोड़ों न करोड़ों देशवासियों नें इनसे हुआ कष्ट झेला है।

चलिए इन सब बातों हटे और किसान आंदोलन की बात करें। प्रधान मंत्री जी द्वारा तीन कृषि कानूनों को यह कहते हुए वापस लिया कि किसानों को इन कानूनों के दूरगामी लाभदायक प्रभावों से संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके साथ ही किसान आंदोलनकारियों की सहित अन्य मांगों पर विचार करने व सुझाव देने के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा भी की थी।

पहले तो कमेटी का गठन ही 7 माह के न समझ में आने वाले विलम्ब के बाद हुआ। इस कमेटी में 18 सरकारी व 11 गैर सरकारी सदस्य नामित किए जाने थे। 11 गैर सरकारी सदस्यों में से मात्र तीन सदस्य आंदोलनकारी किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) द्वारा नामित किए जाने थे। गठन को लेकर, कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर स्पष्टता के अभाव में एख्श ने कोई सदस्य इस कनेटी में नहीं भेजे। यह भी स्पस्ट नही कि क्या कमेटी को श्एइ की गारंटी के जनून का मसौदा बनाना भी था या नहीं??

चलिए एख्श ने कमेटी में सदस्य बनने के लिए नाम नहीं भेजे तो नहीं भेजे किन्तु कमेटी नें भी 2 वर्ष, 8 माह व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्एइ पर कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी। इस मामले में तो "नो दिन चले अढ़ाई कोस वाली" कहावत चरितार्थ हुई है।

इस से यह भी सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि सरकार MSP की गारंटी से सम्बंधित कानून पर, मात्र, किसानों को उलझाए रखना चाहती है किंतु ऐसा क़ानून लाने का कोई इरादा लगता नही, कम से कम शीघ्र तो कतई नहीं।

चलिए अब विचार करे कि MSP की गारंटी के कानून के पक्ष-विपक्ष पर विभिन्न पक्षों के क्या विचार, तर्क हैं:- सरकार के सलाहकार समूह द्वारा उसके विपक्ष में दिया जाने वाले तर्क है कि--- किसानों की समर्थन मूल्य वसलि सारी गज़लों को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचेगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगी। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने होंगे, मंहगाई से उपभोक्ता परेशान होंगे। किसानों की ओर से तर्क दिए जाते है कि मांग तो यह कि कृषि उत्पाद घोषित से नीचे नही बिके। बाजार स्वतः उसी ढंग से एडजस्ट होगा। किसान का कृषि उत्पाद लागत मूल्य से नीचे क्यों बिके? यदि कृषि उत्पाद मंहगे हो जाएंगे, उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ेगी तो क्या किसान लागत से कम मूल्य पर उत्पाद बेच कर, स्वयं कर्जदार होकर, उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज करे? यह काम ,चाहे तो, सरकार करे। क्या किसान उपभोक्ता नहीं? क्या किसान बाजार से हर तरह का आवश्यक समान नहीं खरीदता, तो क्या उसे उपयुक्त दामों पर माल मिले, यह चिंता तो कभी कोई क्यों व्यक्त नहीं करता? रही बात 25 लाख करोड़ या ऊपर कोई आंकड़ा हो, इतना बजट क्यों चाहिए, क्या सारा अनाज सरकार को खरीदना है? क्या बाजार के सारे कृषि उत्पाद व्यापारी अपनी दुकानों के ताला लगा देंगे?

किसानों की मांग है कि उनके कृषि उत्पादों का लागत मूल्य C2 डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा तय प्रक्रिया अपनाते हुए तय किया जाए। उन्ही द्वारा अनुशंसित 50% लाभ जोड़ कर MSP का निर्धारण किया जाए अर्थात कृषि उत्पाद का न्यूनतम बेचान मूल्य C2+50% हो और उस से नीचे न बिके न कोई खरीदे, यह कानून बने। सरकार किसानों से सौहार्द्र पूर्ण माहौल में बात कर 50% पर कोई दूसरा उचित विकल्प (40/30/25% का) बता सकती है किंतु यह कैसे नकारा जा सकता है कि किसान को उसके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले। ओर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तो से बदलने, समाप्त करने का अधिकार भी तो है। यदि 1,2 साल बाद अनुभव बताए कि ऐसा कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं या सरकार के लिए उसकी पालन असम्भव लगे तो आवश्यक संशोधन कर ले। किसान क्या करें? किसानों ने कई बर्र कई लंबे-लंबे आंदोलन कर लिए किन्तु अधिकांशतः उनकी मांगों पर थोड़ी बहुत सुनवाई होती है। तात्कालिक रूप से कुछ छोटी मोटी बातें मान कर, मुख्य मुद्दों को कमेटियों के हवाले कर दिया जाता है। हश्र वैसा ही होता है जैसे ऊपर वर्णित 2022 में गठित कमेटी कर रही है।

किसान वर्ग को समझना होगा कि उनकी समस्याओं का समाधान विधान सभाओं व लोक सभा के माध्यम से ही होना है। वहां उनकी मांगे सहानुभूति पूर्वक समझने वाले, प्रस्तुत कर सकने वाले प्रतिनिधियों का अभाव है। इन संस्थाओं में अपना सक्षम प्रतिनिधित्व बढ़ाएं जो पार्टिलाइन्स से हट कर किसान मुद्दों पर एकजुटता दिखाएं। वोट की ताकत का इस्तेमाल, जाती-धर्म से उपर उठ कर, वर्गहित की पहचान कर उसकी पूर्ति के लिए करें। किसान गेंहू, चावल, गन्ना आदि की अत्याधिक पानी कीआवश्यकता वाली खेती से हटे और ज्यादा फायदे वाली दूसरी फसलों की तरफ मुड़ें। दुग्ध व दुग्ध उत्पादों, मुर्गी पालन, मछलीपालन व अन्य इसी प्रकार की आय बढ़ाने वाली गातिविधियों व व्यवसाय को अपनाएं।

इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने होंगे। गेंहू चावल आदि फसलों से किसान हटेंगे तो किसानों को नई फसलों की पूरी जानकारी समझने, उसे फार्म लेवल पर उतारने में समय लगेगा। इस बदलाव से प्रारम्भ में किसानों को आय में हानि होगी। सरकार किसानों की घटने वाली संभवित आय की क्षतिपूर्ति करे। यह किया जा सकता है। सरकार के पास यह आंकड़े होते है कि कौन किसान कितने क्षेत्रफल में गेंहू आदि बो रहा है और कितना कितना रकबा प्रतिवर्ष कम कर रहा है। उत्पादकता, बोए क्षेत्रफल व MSP के आधार पर आय में सम्भावित कमी की गणना की जा सकती है। सरकार 5,7 साल के लिए क्षतिपूर्ति करे। वैकल्पिक खेती के लिए योजनाये बनाए और उसी उत्साह से लागू की जाएं जैसा कि प्रथम हरित क्रांति के लिए योजनाएँ लागू की गई थी।

सभी किसान संगठन मिल कर विधिवत एक फेडरेशन बनाएं। दिल्ली और अन्य स्थानो पर किसान हितों पर सतत शोध के लिए कार्यालय स्थापित करें। अभी विश्व में एक नए प्रकार का युद्ध प्रारम्भ हुआ है-टैरिफ वार। किसान वर्ग के हित इस से कैसे दुष्प्रभावित हो सकते हैं, इस पर जन जागरण किया जाए। सरकार को शोध किए तथ्यों-तर्क के आधार पर समय समय पर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएं।

किसान फेडरेशन के इन कार्यालयों में विभिन्न फसलों-सब्जियों-फलों आदि के वैश्विक उत्पादन, देशवार उत्पादकता, संभवित भावों आदि आंकड़े एकत्रित किये जाएं, उनका विश्लेषण किया जाकर, लगातार किसानों को अवगत कराएं और राय देते रहे। इसी प्रकार के संगठन के माध्यम से समय समय पर किसानों-कृषि के मुद्दों, समस्याओं पर सरकार से सतत सम्पर्क व वार्ता करनी चाहिए जैसे विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक संगठन करते है। उनकी मांगे सटीक आंकड़ों, उचित सुझावों व निरन्तरता के साथ होती रहती है और सरकार मानती भी है।

किसान आंदोलन यदाकदा, महज संख्याबल प्रदर्शन नहीं बनें। उनकी ताकत आंकड़ों, सुझावों में झलकनी चाहिए। प्रदर्शन-धरने लगातार अल्पवधियों के लिए हो। लंबी अवधि के आंदोलनों से सामान्य जन को भी कठिनाईयां होती है और उनकी सहनुभूति किसानों से हट जाती है। इसी आधार पर सरकारें ऐसे आंदोलनों पर संचार माध्यमों के जरिये जन विरोधी का लेबल चस्पा लगवा देती हैं।

**विभिन्न राजनीतिक दलों का MSP पर स्टैंड:**-दोनों बड़े राजनीतिक दल MSP का गारंटी सम्बन्धी कानून बनाने की बात करते आए है किंतु व्यवहार में जब भी वे सत्ता में रहे है, ऐसा नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग का गठन UPA 1 के शासनकाल में हुआ। UPA शासनकाल में ही आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। कांग्रेस नें आयोग की बहुत सिफारिशों का क्रियान्वयन किया किन्तु C2+50% के अनुसार न MSP दी और न किसानों की मांग के अनुसार कानून ही बनाया।

भाजपा का भी वैसा ही हाल है। जबानी जमाखर्च के अनुसार किसानों की आय को दोगुना करने का निरअर्थक बाजा बजाते रहते है। अन्य बातें यथा MSP पर ज्यादा उत्पाद खरीदें है, पहले की तुलना न में अधिक MSP दी है, बोलते रहते है किंतु MSP से नीचे खरीदी पर प्रतिबंध का कानून पर कुछ नहीं बोलते हैं। यह स्थिति तब है जब 1989 के बाद के सर्वशक्तिशाली प्रधान मंत्री नें, गुजरात के CM रहते हुए इस प्रकार के कानून की पुरजोर वकालत करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिख चुके है। लेखक की राय है कि तत्समय वर्तमानं PM नें अपने सर्वोत्तम सलाहकारों से राय मशविरा करके ही पत्र लिखा होगा तो अब क्या दिक्कत आ रही है?

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

## राशिफल शुक्रवार 28 मार्च, 2025



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:09 तक, शुक्ल योग रात्रि 2:07 तक, विष्टि करण प्रातः 9:30 तक, चन्द्रमा आज सायं 4:48 से मीन राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थितिः** सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज भद्रा प्रातः 9:30 तक है। शुक्र बाल्यत्व रात्रि 9:15 पर समाप्त होगा। आज पंचक है। महापात योग दिन 1:05 से रात्रि 4:32 तक है। आज जुमातुलविदा और शबे कदर (मु.) है।

**श्रेष्ठ चौघड़ियाः** चर सूर्योदय से 7:58 तक, लाभ-अमृत 7:58 से 11:01 तक, शुभ 12:32 से 2:04 तक, चर 5:06 से सूर्यास्त तक।

**राहूकालः** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:26, सूर्यास्त 6:38

### मेष



आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

### वृष



व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### मिथुन



नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को आतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

### कर्क



व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

### सिंह



परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

### कन्या



स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

### तुला



व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक मामलों में उचित पराशर्म मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### वृश्चिक



परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

### धनु



परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### मकर



व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### कुंभ



घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### मीन



घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।